


पूर्व स्थान  
राजरथान विश्वविद्यालय  
जयपुर

विषय:- रथाई अनापति प्रगाण-पत्र जारी किये जाने के बाबत हैं।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेख है कि निम्नलिखित महाविद्यालय 1989 वर्ष से उनको रथाई अनापति प्रगाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है:-



क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थायी एनओसी जारी करने का वर्ष
1.	रोट जी.बी. पोद्धार कालेज, नवलगढ़ जिला झुंझुनू	1945	1948
2.	एस.एस.जी. पारीक महाविद्यालय, जयपुर	1955	1958
3.	प्रग्याल कालेज, जयपुर	1957	1960
4.	वडावा कालेज, वडावा जिला झुंझुनू	1958	1961
5.	रोट गोतीलाल कालेज, झुंझुनू	1958	1961
6.	एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर	1959	1962
7.	गरदा सदन कालेज, गुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनू	1959	1962
8.	रोट जी.आर. चमड़िया कालेज, फतेहपुर जिला सीकर	1960	1963
9.	लाल वहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर	1963	1966
10.	कानोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर	1965	1968
11.	श्री वी.डी. तोदी कालेज, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	1965	1968
12.	इंदिरागंधी बालिका निकेतन, अरडाजता जिला झुंझुनू	1966	1968
13.	एग.के. साबू कालेज आर्ट कामरस, पिलानी जिला झुंझुनू	1970	1973
14.	जी.डी. कालेज बडागाँव जिला झुंझुनू	1970	1973
	श्री संत साई कालेज फार बूमेन, जयपुर	1974	1977
16.	श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर	1977	1980
17.	एरा.एस. जैन सुबोध इयगिंग कालेज, जयपुर	1977	1980
18.	सेट रामकिशन धानुका गल्स कालेज, फतेहपुर जिला शीकर	1978	1981
19.	श्रीमती इन्द्रमणि मंडेलिया गृहविज्ञान गल्स कालेज, पिलानी जिला झुंझुनू	1980	1983
20.	आर्ट गल्स कालेज, अलवर	1980	1983
21.	जे.बी. शाह गल्स कालेज, झुंझुनू	1982	1985
22.	रात जयाचार्य महिला महाविद्यालय, जयपुर	1983	1986
23.	एस.एस.जी. पारीक महिला महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
24.	विनोदनी कालेज, खेतड़ी जिला झुंझुनू	1986	1989

	25. श्री आदि नाथ इवनिंग कामस कालेज, अलवर	1986	1989
	26. श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय, जयपुर	1986	1989
	27. स्वामी गाधयानन्द गर्ल्स कालेज, जयपुर	1986	1989
	28. श्री वाकेयिहारी कन्देलाल महिला महाविद्यालय, डीग जिला भरतपुर	1987	1990
	29. श्रीमती गिन्नीदेवी रात्यनारायण रोक्तारेण्या गर्ल्स कालेज, यिडावा जिला झुंडानू	1987	1990
	30. आर्य विद्यापीठ गर्ल्स कालेज, भूसावर जिला भरतपुर	1980	1983

1. संस्था रांचित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राप्त करेगी ।  
 2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.री. अहताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डनुसार अशोकाधिक स्टाफ की नियुक्त करना होगा ।  
 3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोर्मेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।  
 4. रारथा आर्या अध्यापन हेतु गूलगूता आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी ।  
 5. रारथा रामय पर जारी राज्य रारकर / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा निर्देशों की पालना करेगी ।  
 6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की सागरता शर्तों की पालना करेगी ।  
 7. रारथा को दर्शाग्न एवं गविष्य में कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।  
 8. रारथा को रथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध वार्यवाही वार रथाई मान्यता को आहरित (withdraw) भी किया जा सकता है ।

मावदीय,

१०/०५  
 (वी.एल.आर्य)  
 आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- उप सचिव (जे), मामुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजरथान, जयपुर ।
- निजी सचिव, पा०० उच्च शिक्षा गंत्री महोदय, राजरथान, जयपुर ।
- निजी सचिव, प्रग्नुख शारान राधिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजरथान, जयपुर ।
- निजी सचिव, गा० उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजरथान, जयपुर ।
- उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजरथान, जयपुर ।
- विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (धुप०-१) विभाग, राजरथान, जयपुर ।
- निला० कलवटर, जयपुर/झुंडानू/अलवर/गरतपुर/सीकर ।
- सचिव, संबंधित महाविद्यालय ।
- निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर ।
- कापूर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर ।
- संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
- रक्षित पत्रावली ।

१०/०५/०५/०५/०५  
 १०/०५

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)  
 कालेज शिक्षा, राजरथान,  
 जयपुर ।